

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ

पत्रांक 2151 (अ.प्र.०) / बिहारशरीफ, दिनांक 17-12-2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
MIS, ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

विषय:— राज्य योजना (नावार्ड) अन्तर्गत बिहार—निजाय रोड से रामपुर पथ को
MIS पर Mapping करने के संबंध में।

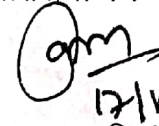
महसूय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना (नावार्ड) अन्तर्गत बिहार—निजाय रोड से रामपुर पथ को **MIS पर Mapping** करने हेतु आवश्यक कागजात एवं योजनाओं की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न पथ का नाम **MIS पर Mapping** करने की कृपा की जाय।

अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन


12/12/20

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ


12/12/20

जल—जीवन—हरियाली, तभी होगी खुशहाली

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)-रा0यो0-03-548/2018

67

/पटना, दिनांक-07/01/19

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य नालन्दा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत रहुई प्रखंड के बिहार-निजाय पथ से रामपुर तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.520 कि० मी० निर्माण हेतु रू० 34.447 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू० 3.447 लाख अर्थात् कुल 37.894 लाख रुपये (सैतीस लाख नवासी हजार चार सौ रू०) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,।

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य नालन्दा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ अन्तर्गत रहुई प्रखंड के बिहार-निजाय पथ से रामपुर तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.520 कि० मी० निर्माण हेतु रू० 34.447 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू० 3.447 लाख अर्थात् कुल 37.894 लाख रुपये (सैतीस लाख नवासी हजार चार सौ रू०) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, नालन्दा एवं मुख्य अभियंता-1, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का व्ययन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या- मु० अ०-4 (मु०)-रा०यो०-03-548/2018 के पृ०सं०-03/टि० पर दिनांक 05.12.2018 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-4 (मु०) रा०यो०-03-548/2018 के पृ० सं०-05/टि० पर दिनांक-17.12.2018 को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के अमल में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

G.K

11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)--11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं० 96 दिनांक 03.01.2008 एवं 3758 दिनांक-30.05.2017 में निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-मु० अ०-4 (मु०) रा०यो०-03-548/2018 के पृष्ठ संख्या-09/वि० पर दिनांक-01.01.19 को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल बिहारशरीफ से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विशेषासभक्षण

(संजय कुमार)

विशेष सचिव

/पटना दिनांक-22/10/11

ज्ञापक मु० अ०-4 (मु०)-रा०यो०-03-548/2018

67

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/11

विशेष सचिव

/पटना दिनांक-22/10/11

ज्ञापक मु० अ०-4 (मु०)-रा०यो०-03-548/2018

67

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/उप विकास आयुक्त, नालन्दा/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्प्लोवर्ड ऑफिसर, BRRDA, मुख्य अभियंता-1, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-4 (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, नालन्दा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (सौर्या कम्पलेक्स, पौंचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम० आई० एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम० आई० एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

2/11

विशेष सचिव

RWD Works Division Biharsharif

Sl. No.	Division Name	Block	Assembly Constituency	Scheme	Sanctioned Year	Name of Road/Bridge	Length in M.	AA Ref. Letter No./Date	AA Amount (in Lac)	AA Maintenance Amount (in Lac)	Total Amount (in Lac)
1	Biharsharif	Rahui	Biharsharif	NABARD	2018-19	Bihar Nijay Road to Rampur (Including 5 Year Maintenance)	0.52	67 03.01.19	34.447	3.447	37.894


 17/12/20

Executive Engineer
 R.W.D. Works Division
 Biharsharif


 17/12/20